

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
<p>25/5/2016</p>	<p>पञ्जाब में पेश हुई          कैम्प पुजान में पेश हुई          अर्थात् शपथार्थ वेगल 5/1/5          धारा 251-क की उपधारा (1) क          अधीन शुरु लिए जाने हेतु जमान          सिविल नं. 1 पत्र के द्वारा इलाहाबाद          के जज अर्थात् के खाने वाली          अर्थात् पुजान के द्वारा          नंबर 330 इकाय 0.088 हेक्टेयर          के अर्थात् के खाने वाली के          338 इकाय 0.93 हेक्टेयर में          बिना सिविल हेतु पानी          ले जाने हेतु 4 फीट नीचे          अर्थात् पाइप लाइन ल          जाने की अनुमति अर्थात् नी          अर्थात् सज्ज केवल के खाने वाली          अर्थात् नं 325 व 326 के अन्त          में वाली गई है          अर्थात् शपथार्थ के पक्ष          इलाका पुजान द्वारा उपर न          मोका रिपोर्ट में दर्शाये गयी          इलाका शुरुवात मार्क स्थल A          व B क्र. नं. 325 के माह तक          पान में सिविल हेतु खाली          भी बनी हुई है अर्थात् पुजान के          नं. 330 इकाय 0.088 हेक्टेयर में          बिना के अन्त में 8 हेक्टेयर          निर्भर 1/3 लिफ्ट में अर्थात् शपथार्थ          अर्थात् पुजान जादा 2 म          जालि - अर्थात् व 1/3 लिफ्ट में          अर्थात् पानि का हुकम</p>

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)



5 जॉव / अर्थात् (प) के खेत  
 मेसर्स फयल, पेशका अर्थात् गण मुकशान  
 नदी खुदयावे अथवा फयल  
 कराई के बाप खेत खाली  
 खेत पर पाइप लाइन जाले  
 अर्थात् अखाराम को 28 राजस्थान  
 कमिश्नर अधिनियम 1955 (1955 का  
 अधिनियम नं-3) की धारा 251-क  
 की उपधारा (2) के अधीन  
 के तदन वर्तमान DLC दर  
 की दो गुणा राशि की गणना  
 तदानी राजस्व लिखावा, तद  
 अन्तर्गत से करवाने के  
 पश्चात् अर्थात् इति निजजन  
 केवल को जमिने धुके / डी.डी  
 के मुगानान करने की  
 शर्त पर अर्थात् (क)  
 उपरोक्त वर्गिन मार्क A के  
 ब्लॉक सिंचाई ट्रेड 4 (खार)  
 फाट गहराई में पाइप लाइन  
 बिछाने की अनुमति उपान  
 की जाती है।  
 गूठ. नि. जलपुर व पेशावे तलका  
 के अन्तर्गत अखाराम के अन्तर्गत  
 मार्क रिपोर्ट अन्वेषण का अंश  
 दिखाने होगी।  
 परावली फयल सुमा लोक  
 नाम के सम है।

उपखण्ड अधिकारी  
 सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)